सामाजिक अंकेक्षण

- सामाजिक अंकेक्षण अथवा लोक अंकेक्षण किसी विशेष परियोजना अथवा कार्यों से संबंधित सभी लेखों की जॉच करने के साथ–साथ कार्य की गुणवत्ता, विशेष उपलब्धियां, कार्यों, लाभान्वितों और कार्यस्थल आदि का अंकेक्षण है। वित्तीय अंकेक्षण में धन के सही उपयोग का निरीक्षण होता है, जबकि सामाजिक अंकेक्षण से धन के सही उपयोग के साथ यह भी देखा जाता है कि उस धन के खर्च का क्या प्रभाव हुआ है। सामाजिक अंकेक्षण व वित्तीय अंकेक्षण एक दूसरे के पूरक है। सामाजिक अंकेक्षण एवं वित्तीय अंकेक्षण कार्य की सही तस्वीर को प्रस्तुत करते हैं।
- विभाग द्वारा सामाजिक अंकेक्षण का कार्य वर्ष 1996–97 से प्रारम्भ किया गया है। सामाजिक अंकेक्षण किये जाने के संबंध में मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 24.09.1996 को एक परिपत्र जारी किया गया। इसकी उपयोगिता को देखते हुये सामाजिक अंकेक्षण निर्देशिका जारी की गई है। सामाजिक अंकेक्षण की निर्देशिका में वर्णित प्रावधानों के अनुसार योजनाओं का अंकेक्षण वर्ष में 2 बार (वित्तीय वर्ष के प्रथम व अंतिम त्रैमास में) किया जाता है।
- सामाजिक अंकेक्षण सबको साथ लेकर चलने की सफल सामूहिक प्रक्रिया है। इसमें न केवल विकास कार्यों में भागीदारी बढ़ती है, बल्कि भ्रष्टाचार को कम करने में बहुत ही अहम् भूमिका सामाजिक अंकेक्षण के माध्यम से निभाई जा सकती है। सामाजिक अंकेक्षण लोकतंत्र को मजबूत बनाने का एक अच्छा औजार है, जो गरीबी और भ्रष्टाचार तथा भुखमरी को दूर करने में सहायक बन सकता है।
- राज्य में वर्ष 2009–10 में पृथक से सामाजिक अंकेक्षण निदेशालय का गठन किया गया है।

सामाजिक अंकेक्षण की परिधि में योजनाएं व कार्यक्रम

- समाजिक अंकेक्षण पंचायत द्वारा क्रियान्वित समस्त योजनाएं यथा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना राजस्थान, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, जलग्रहण विकास, टीएफसी, एसएफसी, एमपीएलएडी, एमएलएएलएडी, डांग, मगरा, मेवात, बीआरजीएफ, बीएडीपी, टोटल सैनीटेशन कैम्पियन, स्वयं की आय, गुरू गोलवलकर जनभागीदारी विकास योजना, दीन दयाल उपाध्याय आदर्श गॉव योजना इत्यादि के अन्तर्गत कराये गये है।
- व्यक्तिगत लाभ की योजनाएं जैसे एसजीएसवाई, इंदिरा आवास योजना, डीपीआईपी आदि।

ग्राम स्तर की सेवाओं का सामाजिक अंकेक्षण

- आंगनबाडी
- ग्रामीण क्षेत्र में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप केन्द्र
- पशु चिकित्सालय व उप केन्द्र
- विद्यालय
- मिड–डे मील
- उचित मूल्य की दुकान
- ग्रामीण पेयजल योजनाएं
- कृषि विस्तार कार्यकर्ता (AEW)

सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया
अंकेक्षण कब किया जावेगा ?

- वर्ष में 4 ग्राम सभाएं आयोजित करना अनिवार्य है। वर्ष में योजनाओं का अंकेक्षण 2 बार होगा (वित्तीय वर्ष के प्रथम व अंतिम त्रैमास में)। विकास अधिकारी सामाजिक अंकेक्षण का कलेण्डर इसी अनुरूप जारी करेंगे। यह सुनिश्चित कर लें कि एक दिन में उतनी ही पंचायतों की बैठक रखी जावे जिनमें पंचायत समिति स्तर का एक अधिकारी बैठक में अनिवार्यतः उपस्थित रह सके।
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना, राजस्थान में प्रत्येक कार्य पर बनाई गई सतर्कता समिति द्वारा प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्यवाही व समय–समय पर निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं संबंधी की गई कार्यवाही का ब्यौरा सामाजिक अंकेक्षण हेतु बुलाई गई ग्राम सभा के समक्ष रखा जावेगा।
- सामाजिक अंकेक्षण हेतु अगले वर्ष का कलेण्डर फार्म–। में माह फरवरी में विकास अधिकारी द्वारा तैयार कर पंचायत समिति की बैठक में अनुमोदन करवाकर जारी किया जावेगा। इसकी सूचना सामाजिक अंकेक्षण मंच के अध्यक्ष को भी सीधी भेजी जावेगी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद यह सुनिश्चित करेंगे कि सामाजिक अंकेक्षण संबंधी ग्राम सभाओं का कलेण्डर समय पर जारी हो जाता है।
- कलेण्डर तैयार करते समय यह भी ध्यान में रखा जाता है कि ग्राम सभा में पैरा–3 में अंकित योजनाओं व गतिविधियों का पिछले 6 माह के कार्यों का अंकेक्षण हो जावे।

सामाजिक अंकेक्षण कैसे किया जावेगा ?

- यद्यपि सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा द्वारा ही किया जाना अपेक्षित है लेकिन ग्राम सभा एक दिन में समस्त रिकार्ड इत्यादि नहीं देख सकती इसलिये व्यवस्था को प्रभावी बनाने हेतु यह आवश्यक है कि प्रत्येक पंचायत स्तर पर एक सामाजिक अंकेक्षण मंच (Social Audit Forum) का गठन किया जावे।
- सामाजिक अंकेक्षण मंच में अध्यक्ष सहित 6 सदस्य होंगे जिनमें से दो सदस्य महिलाएं हों, जो सामान्यतः :–
    - विवाद रहित व्यक्ति तथा सर्वमान्य प्रतिष्ठित ग्रामवासी हो। इन मंचों के अध्यक्ष संबंधित पंचायत क्षेत्र के पंचायत समिति सदस्य होंगे।
    - सेवानिवृत राजकीय कर्मी हो (अध्यापक, लेखाकार, फौजी, महिला अध्यापक/ लेडी सुपरवाईजर/आशा/महिला वार्ड पंच/सक्रिय किशोर–बालिका आदि को प्राथमिकता)।
    - शिक्षित हो।
    - सामाजिक अंकेक्षण मंच में एक सदस्य अनुसूचित जाति/जनजाति का भी होना अनिवार्य है।
- इस अंकेक्षण मंच में से दो सदस्यों को सामाजिक अंकेक्षण कार्यकर्ता जिनमें भी यथा संभव एक महिला हो, को(वोलियन्टर्स)के रूप में नामित किया जायेगा जो कि :–
    - माध्यमिक स्तर तक शिक्षित हो।
    - सेवानिवृत राजकीय कर्मी हो, जिसमें लेखाकार, लिपिक, अध्यापक/अध्यापिका /महिला पर्यवेक्षक या आशा/महिला पंच एवं फौजी को प्राथमिकता दी जायेगी।
    - विवाद रहित प्रतिष्ठित नागरिक हो।
- इन मंचों का गठन ग्राम सभा द्वारा किया जायेगा। ग्राम सभा सचिव को मनोनीत करेगी।

प्रगति

- वर्ष 2010–11 में प्रथम छमाही का समाजिक अंकेक्षण कराया जा चुका है।
- सामाजिक अंकेक्षण की गाईडलाइन्स तैयार की जा रही है।